भारत में चुनाव सुधार

पंकज सिंह *, प्रतिभा वर्मा **

सारांश

भारत में लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि संस्थाएं पूर्णतया नयी नहीं हैं। विचार विमर्श करने वाले कुछ प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाएं वैदिक काल में भी थीं। ऋग्वेद में सभा तथा समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। यहीं से वर्तमान संसद की शुरुआत मानी जा सकती हैं। वैदिक ग्रंथों में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि यह दो वैदिक निकाय राज्य के कार्यों से निकट का संबंध रखते थे। ऐसा ज्ञात होता है आधुनिक संसदीय लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे निर्बाध चर्चा और बहुमत द्वारा निर्णय तब भी विद्यमान थे। बहुमत से हुआ निर्णय सर्वमान्य माना जाता था जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी।

आधुनिक अर्थों में संसदीय शासन प्रणाली एवं विधायी संस्थाओं का विकास लगभग दो शताब्दियों तक ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासकों द्वारा छोटे–छोटे टुकड़ों में किए गए संवैधानिक सुधारों को आधुनिक चुनाव प्रक्रिया का आधार स्तंभ माना जाता है। आजादी के बाद भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जो आज भी हमारे यहां चल रही है। लेकिन इतिहास बताता है कि भारत में चुनावी प्रणाली प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। अंग्रेजों के समय सन 1773 में उस समय एक बार फिर भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित हुई जब सत्ता गवर्नर जनरल की समिति को सौंपी गई। इसके बाद 1861 में कैनिंग ने पोर्टफोलियो पद्धति लागू की और समिति के सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार सौंप दिया। इसके बाद 1919 के एक्ट के आधार पर भारत के प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई। 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से स्वयं के हाथों में ले ली और भारत की सत्ता ब्रिटिश महारानी ताज में निहित हो गई और भारत में शासन की जिम्मेदारी भारत सचिव को सौंप दी।[1]

संकेत शब्द : चुनाव आयोग, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव, पारदर्शिता, समितियां, लोकतंत्र, नोटा, उम्मीदवार, चुनाव आयुक्त।

प्रस्तावना

1885 में कांग्रेस का जन्म हो चुका था और कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में यह मांग प्रस्तुत कर दी कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया जाए। इसके बाद 1842 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधानपरिषद का विस्तार किया गया। फिर इसके बाद 1909 और 1919 के भारत सरकार अधिनियम अस्तित्व में आए, जिसने भारत के संवैधानिक विकास को प्रभावित किया। 1919 के अधिनियम में बहुत सी कमियां थीं और यह भारतीयों के साथ भेदभाव करता था इसलिए कांग्रेस की मांग पर 1935 में एक और भारतीय शासन अधिनियम अस्तित्व में आया। 1935 के अधिनियम के द्वारा मताधिकार को पहले से अधिक विस्तृत कर दिया गया और चुनाव पद्धति का पहले से अधिक विस्तार कर दिया गया।

1946 में कैबिनेट मिशन योजना अस्तित्व में आई जिसमें भारत की शासन व्यवस्था व चुनाव प्रणाली पर चर्चा की गई। जुलाई 1946 में इस योजना के तहत चुनाव हुए, कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया, इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ, फिर भारत आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ और भारत की वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अस्तित्व में आई। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के तहत अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 324 के तहत देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है व पंचायत, नगर निगम के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है।[2]

1950 से अक्टूबर 1980 तक चुनाव आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। 61वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया और चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बन गया। लेकिन 1990 में ही दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पदों को समाप्त कर दिया गया और पहले जैसी स्थिति हो गई। लेकिन अक्टूबर 1993 में फिर दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। तब से यही स्थिति है। अब वर्तमान में एक मुख्य एवं दो निर्वाचन आयुक्त हैं। अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं व कई बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं फिर भी चुनावी सुधार की जरूरत की बातें होती रहती हैं और सरकार ने समय–समय पर कई

* अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, डी.एस.बी. कैम्पस, नैनीताल
** शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, एम0 बी0 पी0 जी0 कॉलेज, हल्द्वानी

कमेटियों का भी गठन किया है जैसे कि के संथानम समिति 1964, तारकुंडे समिति 1975, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इंद्रजीत गुप्त कमेटी 1998, वोहरा समिति 1991 व संविधान समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2001 आदि। इन समितियों ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने व धनबल व बाहुबल से निपटने व राजनेताओं के गुंडा गिरोह से सांठगांठ से निपटने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं।[3]

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि चुनाव सुधार से संबंधित समितियों का लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ा है या नहीं। प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्धेश्य हैं–

- चुनाव सुधारों के द्वारा चुनाव प्रणाली पर पड़े प्रभावों का अध्ययन करना।
- चुनाव सुधारों के कारण आम मतदाता के दृष्टिकोण पर पड़े प्रभावों का अध्ययन करना।
- धर्म एवं जाति का मतदान पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से संबंधित सुझावों का पता लगाना।

शोध प्रविधि

इस शोध पत्र के लिए शोधकर्ता ने शोध सामग्री मुख्यतः द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त की है एवं संबंधित पुस्तकों का गहन अध्ययन कर शोध की विश्लेषण व वर्णनात्मक पद्धति को अपनाया है व शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभव व समाचार पत्रों, इंटरनेट एवं पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी को भी इसमें स्थान दिया है।

चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियां

1964 में के संथानम समिति की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति 'कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन' ने राजनीति के क्षेत्र में चुनाव सुधार से संबंधित कई सिफारिशें कीं। जिसमें उन्होंने चुनाव के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित करने व उम्मीदवार के धन खर्च को रोकने के लिए चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने की सिफारिश की और इसके अलावा निर्वाचन नामावली या मतदाता सूची में समय–समय पर सुधार की भी वकालत की व चुनाव प्रक्रिया के दौरान दोषी निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी सिफारिश की और इस समिति ने समय–समय पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने को भी प्रमुख सिफारिश के रूप में जरूरी बताया।[4]

तारकुंडे समिति का गठन 1974 में सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी नामक संस्था ने चुनाव सुधार के लिए किया था व इस समिति ने चुनाव सुधार से संबंधित कई प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत कीं जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लिए आय के स्रोतों व आय एवं व्यय का पूरा हिसाब किताब लिखना अनिवार्य करने और मताधिकार की आयु 21 के स्थान पर 18 वर्ष करने की भी सिफारिश की एवं लोकसभा तथा विधानसभा के विघटन और नए चुनाव की घोषणा के बाद से सरकार कामचलाऊ सरकार की तरह काम करे। वह न तो नई नीतियों की घोषणा करे और न ही उन्हें लागू करे। यह भी इसका एक प्रमुख सुझाव था और चुनाव आयोग की सहायता के लिए केंद्र व राज्य में निर्वाचन परिषद का गठन किया जाए व इन निर्वाचन परिषदों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही एवं निर्वाचन परिषदों के अलावा मतदाता परिषद बनाए जाने का भी सुझाव दिया और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो व निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता व मुख्य न्यायाधीश से बनी समिति के द्वारा की जाए यह भी इसका एक प्रमुख सुझाव था।[5]

दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया व इसकी सिफारिशों को जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 में स्वीकार कर लिया गया। इस समिति ने चुनाव सुधार से संबंधित कई अहम सुझाव दिए जिसमें एक उम्मीदवार को दो से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ने का एक अहम सुझाव दिया व मतदान तिथि के 40 घंटे पूर्व से शराब बिक्री पर रोक लगाने की बात कही एवं बूथ कैपचरिंग की स्थिति में पुनः मतदान की व्यवस्था की भी सिफारिश की एवं इसके अलावा मतदानपत्र पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का नाम स्वतंत्र उम्मीदवारों से ऊपर हो यह भी इस समिति का प्रमुख सुझाव था व उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में चुनाव रद्द नहीं बल्कि राजनीतिक दल द्वारा दूसरा उम्मीदवार घोषित करने की भी वकालत की एवं भारत के संविधान के अनुसार दोषी व्यक्ति को सजा होने की तिथि से 4 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी सिफारिश की एवं मतदान केंद्र पर हथियार लेकर जाने को कानूनी अपराध घोषित करने व इसके लिए दंड एवं जुर्माना दोनों के प्रावधान बनाने की बात कही एवं यदि सदन का कार्यकाल 1 वर्ष से ज्यादा हो तो संसद या राज्य विधानसभा के उपचुनाव 6 महीने के भीतर करा लिए जाने की बात कही एवं इस समिति ने ईवीएम के प्रयोग करने की सिफारिश की थी।

इंद्रजीत गुप्त कमेटी का गठन वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में 1998 में किया गया। इस समिति ने चुनाव सुधार से संबंधित कई प्रमुख सिफारिशें कीं जिसमें चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने व इसके लिए एक

चुनाव कोष के निर्माण की बात कही एवं राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व राज्य स्तरीय दलों को राज्य स्तरीय क्षेत्र में एक कार्यालय और टेलीफोन सुविधा निःशुल्क दिए जाने की बात कही एवं आकाशवाणी व दूरदर्शन पर राष्ट्रीय दलों के समान ही क्षेत्रीय दलों को भी प्रचार प्रसार का समय दिए जाने की सिफारिश की।

वोहरा समिति का गठन 1993 में अपराध एवं राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए किया गया था। इस समिति का गठन मुंबई के 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट कांड के बाद पूर्व गृह सचिव एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में हुआ था, जिसने मात्र 3 महीने के भीतर ही अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट को आज तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया है। 1995 में इसके कुछ अंशों को जरूर सार्वजनिक किया गया जो संगठित अपराधियों, नेताओं और पुलिस तथा नौकरशाहों की सांठगांठ की ओर संकेत दे रहे थे।[6]

कुछ अन्य चुनाव सुधार

वोट देने की आयु कम करना

61 वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा लोकसभा व विधानसभा में वोट देने की आयु को 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दिया गया ताकि देश के युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

प्रस्तावकों की संख्या में में वृद्धि

1988 में राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले निर्वाचकों की संख्या 10 कर दी गई।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव

1977 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

1989 के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 1998 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में किया गया व 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में ईवीएम का प्रयोग हुआ।

मतदाता फोटो पहचान पत्र

फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने 1993 में सभी पंजीकृत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया।

चुनाव सुधार में नोटा मतदान चिन्ह

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा 27 सितंबर 2013 में नोटा चिन्ह को बैलेट में जगह दिलवाई थी व नोटा चिन्ह को 11 अक्टूबर 2013 को बैलेट पेपर पर डाल दिया गया था व इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में इसे विकल्प के रूप में शामिल किया गया था। नोटा चिन्ह का प्रयोग करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना। नोटा का मतलब यह हुआ अगर मतदाताओं को कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लग रहा है तो वह नोटा चिन्ह पर भी मतदान कर सकता है। नोटा का चिन्ह बैलेट फॉर्म में सबसे नीचे अंकित किया जाता है। इससे मतदाता को अपनी नापसंद बताने का मौका मिल जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा नोटा का चिन्ह बनाया गया है।

मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल

वोटर वेरीफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानि वीवीपैट ईवीएम से ही जुड़ी हुई प्रणाली है। वीवीपैट यह सत्यापित करता है कि मत उम्मीदवार को ही पड़ा है कि नहीं जिसके पक्ष में मतदाता ने मत डाला था। जब मत पड़ता है तो एक स्लिप मुद्रित होती है और 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी बॉक्स में उम्मीदवार का नाम व चिन्ह प्रदर्शित होता है। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दी थी और इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अपरिहार्य जरूरत बताया था।[7]

चुनाव में धर्म जाति भाषा संप्रदाय विशेष के आधार पर वोट मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी 2017 को चुनावों में जाति, भाषा और संप्रदाय विशेष के नाम पर वोट मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भगवान और मनुष्य का संबंध व्यक्तिगत है इसलिए धर्म का प्रयोग चुनाव में नहीं किया जा सकता है। जाति, समुदाय, धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर मतदान की अपील करना भ्रष्ट आचरण है।

चुनाव सुधार से संबंधित निम्नलिखित सुझावों पर भी विचार करना आवश्यक है। निष्पक्ष चुनाव के संबंध में एक

सुझाव यह भी आया है कि जिस दिन मतदान होता है उसी दिन मतदान समाप्त होने के बाद ही मतदान केंद्रों पर ही मतों की गणना का काम उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हो जाए ताकि मत पेटियों को दूर–दूर ले जाने में गड़बड़ी की शंका ही ना हो एवं उम्मीदवारों के दो स्थानों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए व उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा तय की जाए एवं चुनाव सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि उम्मीदवार या प्रतिनिधि बनने की अहर्ता में परिवर्तन किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी भी अपराध में जेल में हो तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए एवं इन सबके अतिरिक्त महिलाओं को विधानसभा व लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए एवं चुनाव संपन्न कराने में ऋतु, दिन एवं समय निर्धारण में सावधानी बरती जाए। चुनाव के दौरान मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए एवं पैसा और शराब के विरुद्ध जबरदस्त नियंत्रण किया जाए।[8]

विभिन्न समितियों के सुझावों का लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था पर पड़े प्रभावों का वर्णन

1964 में बनी संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई एवं संसद द्वारा अधिनियमित केन्द्रीय सर्तकता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। केन्द्रीय सर्तकता आयोग केन्द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके कार्यों की योजना बनाने, समीक्षा करने एवं कार्यों में सुधार के सम्बन्ध में सहायता करता है एवं भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही करता है। यह या तो सी0बी0आई0 या सरकारी सर्तकता अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। सी0 वी0 सी0 किसी मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य नहीं करता है, यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट में किये गये कार्यों का विवरण देता है। सी0 वी0 सी0 के कारण ही आज हम अपनी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के मामलों में नियंत्रित कर पा रहे हैं।

सिटीजन आफ डेमोक्रेसी नामक संस्था द्वारा गठित तारकुन्डे समिति की सिफारिश के आधार पर राजीव गांधी सरकार द्वारा 61 वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी एवं केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय से बढ़ाकर तीन सदस्यीय आयोग बना दिया गया और तारकुन्डे समिति की सिफारिश ने ही उम्मीदवारों के लिये निश्चित नामांकन राशि व उम्मीदवार द्वारा चुनावी व्यय का लेखा जोखा आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। इन सिफारिशों ने ही भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने एवं उम्मीदवारों की जिम्मेदारी को भी अधिक सशक्त करने का कार्य किया।

1990 में गठित दिनेश गोस्वामी समिति की अधिकतर सिफारिशों को जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 में स्वीकार कर लिया गया। इसमें प्रमुख रूप से केन्द्र या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली होने की स्थिति में 6 माह के भीतर निर्वाचन की व्यवस्था करने संबंधी सिफारिश है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही हमारी चुनावी व्यवस्था में व्याप्त बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग संबंधित समस्याओं का समाधान हुआ है।

1990 के दशक तक हमारे देश में उम्मीदवारों के चुनावी व्यय के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। इस समस्या का समाधान करने में इंद्रजीत गुप्त समिति के सुझावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आज प्रत्याशी अपने वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं और चुनावी व्यय का लेखा जोखा चुनाव आयोग को देते हैं।

इंद्रजीत गुप्त कमेटी के बाद अपराध व राजनीति की सांठ–गांठ की जांच करने के लिये वोहरा समिति का गठन किया गया था जिसने राजनीतिक व्यक्तियों के कई आपराधिक गठजोड़ के मामलों को रेखांकित किया और अपनी रिपोर्ट में माफियाओं और अपराध सिंडिकेट के बारे में काफी व्यापक और स्पष्ट चर्चा की। सरकार ने इस समिति की, प्रत्याशियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का प्रेस तथा मीड़िया में व्यापक प्रचार संबंधी, सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इन सभी समितियों की सिफारिशों के कारण भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय हुई।[9]

निष्कर्ष

चुनाव सुधार के लिए गठित समितियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। फिर भी चुनाव आयोग की पारदर्शिता व निष्पक्षता के लिए चुनाव आयोग को कुछ और शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका निष्पक्ष व पारदर्शी ही होनी चाहिए ताकि निर्वाचन आयोग इन शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार, सुमित, भारत में चुनाव सुधार, इन्टरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च (ISSN: 2348-6848), (2018), पृष्ठ–01
2. वर्णवाल, महेश कुमार, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, कासमॉस पब्लिकेशन, दिल्ली, 2017, पृष्ठ–124
3. कश्यप, सुभाष, दलबदल व राज्य की राजनीति, श्रीवाली प्रकाशन, मेरठ, 1970, पृष्ठ–156

4. जोशी, आर पी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः पुर्नसंरचना के विविध आयाम, रावत पब्लिकेशनस,जयपुर, 2000, पृष्ठ–136
5. कुमार, सुमित, भारत में चुनाव सुधार, इन्टरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च (ISSN: 2348-6848)] (2018), पृष्ठ–3
6. चौधरी, बासुकी नाथ, भारतीय शासन और राजनीति ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेज लिमिटेड प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ–74
7. नरूला, बी सी, भारतीय राजनीति, अर्जुन पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2016, पृष्ठ–54
8. कुमार, सुमित, भारत में चुनाव सुधार, इन्टरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च (ISSN: 2348-6848)] (2018), पृष्ठ–7
9. विशेष : चुनाव सुधार–दृष्टि the Vission
10. संसद टीवी संवाद
11. चुनाव सुधार विकीपीडिया
12. पत्र पत्रिकाएं
13. www.google.comv